



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 अक्टूबर, 1979
आश्विन 30, 1901 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2686/सत्रह-वि०-1—59-79
लखनऊ, 22 अक्टूबर, 1979

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1979)
[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का अद्यतन संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणराज्य के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या
9 सन् 1932 की
धारा 57 का
प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश में यथा प्रयोज्य भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 57 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

रजिस्ट्रार, उप- "57—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा फर्मों का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियों का सहायक रजिस्ट्रार प्रयोग, कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन करेगा।
की नियुक्ति

(2) राज्य सरकार, इसी प्रकार एक या अधिक, फर्मों के उप रजिस्ट्रार और फर्मों के सहायक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जो रजिस्ट्रार की सभी या ऐसी शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन और ऐसे क्षेत्रों में करेगा जैसा अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायगा।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 2686/XVII-V-1—59-79

Dated Lucknow, October 22, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bharatiya Bhagidari (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 10, 1979:

THE INDIAN PARTNERSHIP (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. ACT NO. 34 OF 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Indian Partnership Act, 1932 in its application to Uttar Pradesh.

It is HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Indian Partnership (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1979.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Substitution of section 57 of Act IX of 1932.

2. For section 57 of the Indian Partnership Act, 1932, as applicable to Uttar Pradesh, the following section shall be substituted, namely—

"57. (1) The State Government may, by notification, appoint a Registrar of Firms who shall exercise, perform and discharge the powers, functions and duties of the Registrar under this Act throughout Uttar Pradesh.

(2) The State Government may likewise appoint one or more Deputy Registrars of Firms and Assistant Registrars of Firms who shall exercise, perform and discharge all or such of the powers, functions and duties of the Registrar and in such areas as are notified in the notification.

(3) The officers appointed under sub-section (1) or sub-section (2) shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code."

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.